



135-2714074: फैक्स-0135-2651060: ई-मेल-nagarnigam.ddn@gmail.com



कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

सार्वजनिक सूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम, अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत एवं नगर निगम, देहरादून डेरी/डेरी पशु उपविधि, 2022 में उल्लेखित प्राविधानों के तहत सभी डेयरियों का नगर निगम में पंजीकरण होना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण नगर निगम क्षेत्र में डेयरी व्यवसाय करना दण्डनीय है।

अतः समस्त डेरी स्वामी इस सूचना प्रकाशन के 03 माह के भीतर अपने व्यावसायिक डेरी प्रतिष्ठानों का नगर निगम, देहरादून में अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें।

नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

पत्रांक:- 160(A) v. A

दिनांक: 12/10/2022

मम् ज्ञाना, फैनिक्यात्मण

1. सम्पादक ट्रिप्लेटर, अमृ ज्ञाना, फैनिक्यात्मण को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों में निर्धारित छूट देते हुए सामाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करते हुए बिल भुगतान हेतु दो समाचार पत्र प्रति सहित नगर निगम को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. आईटी० अधिकारी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना नगर निगम की वेब साईट पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. नगर निगम नोटिस बोर्ड पर चर्चा हेतु।


वरिष्ठ पशुचाक्त्सा अधिकारी,
नगर निगम, देहरादून।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-23] रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 सितम्बर, 2022 ई० (आश्विन 02, 1944 शक सम्वत) [संख्या-39

विषय—सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	रु० 3075
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	763—767	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियाँ, आज्ञाएँ, विज्ञप्तियाँ इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	733—743	1500
भाग 2—आज्ञाएँ, विज्ञप्तियाँ, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियाँ, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियाँ	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि	473—485	975
स्टोर्स पर्चेज—स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि	—	1425

कार्यालय नगर निगम, देहरादून

27 जुलाई, 2022 ई०

पत्रांक 279 / ST / 022—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत दुधारु पशुओं के व्यावसायिक डेरी परिसरों के कारण होने वाली विभिन्न नागरिक समस्याओं के समाधान तथा निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत उपविधि का प्राख्यापन व प्रवर्तन प्रस्तावित है :—

पशुओं को आवारा छोड़ दिये जाने के कारण सड़क परिवहन में अवरोध/दुर्घटनाओं/पशु केंद्रित व पशु जनित हिंसा की समस्या के निवारण, आवारा छोड़ दिये गये अनुप्तादक एवं उद्दण्ड/आक्रामक पशुओं में परस्पर संघर्ष अथवा किंचित प्रकरणों में आमजनों पर आक्रमण से बचाव एवं जनसुरक्षा, ऐसे गोवंशीय पशुओं की तस्करी/गोहत्या/चोटिल हो जाने के कारण शांति एवं कानून व्यवस्था को सम्भावित चुनौती, पशुओं द्वारा पॉलीथीन/कचरा खाये जाने के कारण मृत्यु होने के कारण शांति एवं कानून व्यवस्था को सम्भावित चुनौती, डेरी परिसरों के कारण गोबर/गोमूत्र के अनुचित प्रबन्धन के कारण नालियों में अवरोध/गन्दगी/दुर्गन्ध/मक्खियों तथा प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु ।

इस क्रम में प्रस्तावित अननन्तिम उपविधि को स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 11.06.2022 को सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराकर जनसामान्य से 15 दिनों के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित किये गये थे। जिसके क्रम में प्राप्त आपत्ति/सुझावों का निस्तारण कर अंतिम उपविधि जनसामान्य की सूचना हेतु प्रकाशित की जा रही है।

क. उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत प्राविधान :-

1) अधिनियम की धारा-541 एवं धारा-453 (अध्याय XVI- Regulation of Markets, Slaughter-houses, certain trades and acts etc) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा व्यावसायिक डेरी परिसरों के संचालन एवं अनुज्ञा के क्रम में उपविधि का प्राख्यापन प्रस्तावित है ।

2) धारा-438 एवं धारा-440 के अनुरूप नगर निगम द्वारा अनुज्ञा प्रदत्त डेरी स्वामियों द्वारा ही व्यावसायिक डेरी परिसरों का संचालन किया जाना अपेक्षित है ।

3) धारा-451(3) के अनुरूप डेरी स्वामी द्वारा कानूनी प्राविधानों (अधिनियम/नियम/उपनियम) के अनुरूप निर्धारित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन हेतु सिद्धोष पाये जाने पर, व्यावसायिक डेरी परिसरों के संचालन हेतु निर्णत अनुज्ञा को निरस्त किये जाने का प्राविधान है।

4) धारा-467 के अनुरूप किसी भी व्यक्ति को कानूनी प्राविधानों (अधिनियम/नियम/उपनियम/उपविधि/ प्रतिबन्ध/शर्त/नोटिस) के उल्लंघन हेतु सिद्धोष पाये जाने पर दण्डित किये जाने का प्राविधान है।

ख. उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007 एवं संशोधन अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत प्राविधान :-

अधिनियम की धारा-7 के अनुरूप राज्य के शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक गोवंश का पंजीकरण अनिवार्य है तथा धारा-8 के अनुरूप शहरी क्षेत्रों में गोवंशीय पशुओं को आवारा छोड़ने का प्रतिषेध है। इन दोनों ही प्राविधानों के उल्लंघन हेतु सिद्धोष पाये जाने पर अधिनियम की धारा-11(3) एवं धारा-11(क) के अनुरूप नगर आयुक्त द्वारा अर्थदण्ड आरोपित कर शमन (compounding) की कार्यवाही किये जाने का प्राविधान है।

ग. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2021 के बिन्दु संख्या-07 में नगर निकाय द्वारा डेरी/गौशालाओं को पंजीकृत करने का प्रावधान है।

नगर निगम, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत दुधारु पशुओं के व्यावसायिक डेरी प्रतिष्ठानों के संचालन हेतु अनुज्ञा दिये जाने के क्रम में प्रस्तावित अंतिम उपविधि

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा व्यावसायिक डेरी परिसरों के संचालन एवं अनुज्ञा के क्रम में उत्तर प्रदेश नगर निगम

अधिनियम, 1959 की धारा-540 एवं धारा-453 के अन्तर्गत निम्नानुसार उपविधि का प्राख्यापन प्रस्तावित है :—

1. नाम- यह उपविधि 'नगर निगम, देहरादून डेरी/डेरी पशु उपविधि, 2022' कहलाएगी।

2. परिभाषा -

(क) "डेरी पशु" से तात्पर्य गाय, बैल, भैंस, भैंसा एवं ऊकी संतति से है।

(ख) "दुग्धशाला" से तात्पर्य उस परिसर से है जहाँ दुधारु पशुओं को रखा जाता है।

(ग) "पशुचिकित्सा अधिकारी" से तात्पर्य नगर निगम में शासन द्वारा प्रतिनियुक्त पशुचिकित्सा अधिकारी से है अथवा पशुचिकित्सा विज्ञान में स्नातक अथवा इससे उच्च उपाधिधारक जो संघ अथवा राज्य पशुचिकित्सा परिषद में पंजीकृत हो से है।

(घ) "व्यावसायिक डेरी परिसर" से तात्पर्य ऐसे परिसर से है, जहाँ 5 अथवा 5 से अधिक वयस्क डेरी पशु को रखा गया हो, से है।

- (क) "गौशाला" से तात्पर्य पशु कल्याण हेतु राज्य पशुकल्याण बोर्ड में पंजीकृत संस्था से है, जो कि अलाभकारी गौवंश की देख-रेख के लिए स्थापित की गई हो।
- (च) "अलाभकार पशु" से तात्पर्य अनुत्पादक, वृद्ध, बीमार एवं घायल निराश्रित गोवंश तथा पुलिस- प्रशासन/नगर निकाय द्वारा गोतस्करों अथवा पशु कूरता के प्रकरणों में जब्त किये गये केस प्राप्टी गोवंश से है।
3. कोई भी व्यक्ति नगर पालिका की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के परिसर का उपयोग उक्त प्रयोजन (डेरी) के लिये जारी की गयी अनुज्ञा के बिना नहीं करेगा व न ही किसी को भी उपयोग करने की अनुमति देगा।
4. अनुज्ञा हेतु प्रतिबन्ध
- (क) नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत डेरी परिसर संचालित किये जाने हेतु अथवा डेरी पशु पालने हेतु नगर निगम द्वारा अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (ख) नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत डेरी परिसर के संचालन हेतु अथवा डेरी पशु पालने हेतु अनुज्ञा प्राप्त किये जाने हेतु आवेदक को नगर निगम के पक्ष में नगर निगम बोर्ड द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ, प्रारूप-१ के अनुरूप निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदक द्वारा जमा किया गया आवेदन शुल्क अप्रतिदाय (non refundable) होगा।
- (ग) व्यवसायिक डेरी परिसर के संचालन हेतु उत्तराखण्ड राज्य प्रदूषण नियन्त्रण परिषद से नियमानुसार सी०टी०ओ० (Consent to Operate) प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
- (घ) श्रीमान नगर आयुक्त द्वारा, अधिकृत अधिकारी/अधिकारियों/दल द्वारा व्यावसायिक डेरी परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा, जिसके द्वारा प्रारूप-२ पर स्थलीय निरीक्षण उपरांत आख्या प्रस्तुत की जायेगी।
- (ङ) श्रीमान नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी निरीक्षण दल की प्रारूप-२ पर प्रस्तुत स्थलीय निरीक्षण आख्या के आलोक में सम्बन्धित व्यावसायिक डेरी परिसर को अनुज्ञा प्रदत्त किये जाने के क्रम में निर्णय लेंगे। अनुज्ञा दिये जाने हेतु उपयुक्तता की स्थिति में, व्यावसायिक डेरी परिसर में वयस्क तथा अवयस्क पशुओं की अधिकतम अनुमन्य संख्या उल्लिखित करते हुए प्रारूप-३ के अनुरूप अनुज्ञापत्र निर्गत किया जायेगा।
- (च) अनुज्ञाधारी व्यावसायिक डेरी परिसर अनुज्ञा के प्रतिबन्धों/शर्तों के अनुपालन हेतु बाध्य होगा।
- (छ) अनुज्ञाधारी व्यावसायिक डेरी परिसर द्वारा स्वयं के डेरी परिसर में मुख्य दीवार पर अनुज्ञापत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। निरीक्षण के समय प्रदर्शित न पाये जाने पर ₹० ५००/- का अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा।
- (ज) नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत समय-समय पर व्यावसायिक डेरी परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया जा सकेगा। अनुज्ञाधारी व्यावसायिक डेरी परिसर द्वारा अनुज्ञा के प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र का तात्कालिक निलम्बन अथवा पूर्णतः निरस्तीकरण किया जा सकेगा तथा अधिनियम की धारा-४६७ एवं धारा-४५१(३) के अनुरूप अर्थदण्ड का आरोपण किया जायेगा जिसकी राशि ₹५०००/- प्रति अपराध तक हो सकेगी।
- (झ) नगर निगम द्वारा निर्गत अनुज्ञापत्र अनुज्ञा जारी किये जाने की तिथि से कुल १(एक) वर्ष हेतु मान्य होगा।
- (ञ) अनुज्ञा दिये जाने हेतु अनुपयुक्तता की स्थिति में आवेदन के एक माह के भीतर सम्बन्धित प्रकरण के अस्वीकृति की सूचना निर्गत कर दी जायेगी।
- (ट) नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत अनुज्ञा के बिना व्यावसायिक डेरी परिसर संचालित किये जाने की दशा में नगर निगम अधिनियम की धारा-४६७ एवं धारा-४५१(३) के अनुरूप दण्ड का आरोपण किया जायेगा, जो ₹० २५,०००/- तक हो सकेगा।
- (ठ) डेरी पालन के लिए समय-समय पर सक्षम न्यायालयों के पारित आदेशों/बोर्ड/प्राधिकरण/आयोग/विभाग द्वारा प्राप्त सभी जरूरी अनुमतियां प्राप्त करने की जिम्मेदारी अनुज्ञाधारी की होगी तथा इस आशय का शपथ-पत्र भी आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अनुज्ञा जारी करने के बाद भी किसी भी सक्षम न्यायालय/बोर्ड/प्राधिकरण/आयोग/विभाग से अनुज्ञाधारी की डेरी उनके मानकों के अनुरूप नहीं पायी जाती व कोई कार्यवाही की जाती है तो निगम द्वारा जारी अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
5. अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण-
- अनुज्ञासि के नवीनीकरण के लिये अनुज्ञासि धारक की जिम्मेदारी होगी कि वह अपना आवेदन पिछली अनुज्ञासि के समाप्त होने के १५ दिन पहले करना अनिवार्य होगा। अनुज्ञासि समाप्ति के उपरान्त संचालक पर नियम ४(ट) के तहत कार्यवाही की जाएगी।
6. (क) इन उपविधि के तहत अनुज्ञासि के लिये वार्षिक शुल्क प्रथम बार ₹० ५००/- प्रतिपशु व नवीनीकरण की स्थिति में ₹० ३००/- प्रतिपशु निर्धारित हैं।
- (ख) उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड में पंजीकृत अथवा मान्यता प्राप्त गोसदन/गौशाला के लिये कोई भी शुल्क नहीं लिया जायेगा।

7. ઉક્ત, ઉપવિધિ કે તહુત જારી કી ગયી હર અનુજસિ નિમ્નલિખિત શર્તોં કે અધીન હોણી અર્થાત-
- (ક) પ્રત્યેક દુર્ઘશાલા કે ફર્શ કો પૂરી તરહ સે સૂખા રહ્યને કી વ્યવસ્થા પશુ સ્વામી દ્વારા કી જાની હોણી તથા વાયુ કે આવાગમન એવં પ્રાકૃતિક સૂર્ય કે પ્રકાશ કી ઉચિત વ્યવસ્થા હો।
- (ખ) પશુઓં કે રહ્યને કે સ્થાન પર પશુઓં કે વિપરીત પ્રાકૃતિક દશાઓં મેં જૈસે-તેજ ધૂપ, ગર્મી, સર્દી વ બરસાત આદી સે બચાવ હેતુ ઉચિત વ્યવસ્થા સુનિષ્ઠિત કી જાયેગી।
- (ગ) ડેરી સ્વામી કો અપની ડેરી સે ઉત્પન્ન ગોબર કે નિસ્તારણ કે સમુચ્છિત વ્યવસ્થા કરની હોણી, જિસકા પ્રમાણ ભી અનુજસિ અધિકારી કે ઉપલબ્ધ કરાના હોણી વ ગોબર કો સીવર અથવા ખુલે નાલે મેં નહીં ડાલા જાયેગા, કમ્પોસ્ટ બનાકર અથવા કિસી કમ્પોસ્ટ/ગોબર ઉત્પાદ બનાને વાલે ઉપક્રમ કો દિયા જાના અથવા બાયોગેસ સંયંત્ર કે દ્વારા નિસ્તારણ હી માન્ય હોણી। ગોબર કે નિસ્તારણ કે સમ્બન્ધ મેં સમય-સમય પર નગર નિગમ દ્વારા જારી દિશા-નિર્દેશોં કો પાલન કરના અનિવાર્ય હોણી। ઉક્ત આશય કા શપથ-પત્ર ભી આવેદન પત્ર કે સાથ પ્રસ્તુત કરના હોણી।
- (ઘ) અનુજસિધારી અનુજસિ અધિકારી કો કિસી ભી સંક્રામક રોગ કે બારે મેં તુરન્ત સૂચિત કરેણ એવં અપને સંઘ/રાજ્ય પશુચિકિત્સા પરિષદ સે પંજીકૃત પશુચિકિત્સક સે સમુચ્છિત ઉપચાર હેતુ બાધ્ય હોણી અથવા સંક્રમિત પશુઓં કો બાકી પશુઓં સે અલગ રહેણી।
8. દુર્ઘશાલા કે સભી પશુઓં કો માઇકોચિપ લગવાકર પંજીકરણ કરાયા જાના અનિવાર્ય હોણી। સભી પશુઓં કે સંતતિ કા રિકાર્ડ સમસ્ત ડેરી સ્વામિયો દ્વારા રહ્યા હોણી।
9. કિસી ભી ડેરી પશુ સ્વામી દ્વારા અપને પશુઓં કો કિસી ભી પરિસ્થિતિ મેં સડકોં પર અથવા અપને પરિસર કે બાહ્ય ખુલા નહીં છોડા જાયેણી। પશુ કે બાહ્ય ખુલા છોડે પાયે જાને પર રૂ 2000/- પ્રતિપશુ પ્રતિદિન/ઉત્તરાખણ્ડ ગૌવંશ સંરક્ષણ અધિનિયમ કે તહુત કાર્યવાહી કી જાયેણી।
10. લેખાજોખા (રિકોર્ડ) રહ્યના- વ્યાવસાયિક ડેરી પ્રતિષ્ઠાન કો અનુજાપત્ર પ્રાપ્ત કરને કે બાદ, પ્રતિષ્ઠાન દ્વારા નિમ્ન પ્રપત્રોં યુક્ત પંજિકા મેં અભિલેખોં કો લેખાજોખા રહ્યા જાયેણી:-
- (ક) નિર્ધારિત પ્રપત્ર કે અનુરૂપ રહે ગયે સભી પશુઓં કે વિવરણ।
- (ખ) પશુઓં કો પશુચિકિત્સા સ્વાસ્થ્ય કે વિવરણ।
- (ગ) પશુઓં કે ટીકાકરણ/ટોંકસાઇડ કે વિવરણ।
- (ઘ) કૃમિરોધી દવાપાન કે વિવરણ।
- (ડ) પશુઓં કે ગર્માધાન/નસ્લ કે વિવરણ।
- (ચ) પશુઓં કે ક્રય-વિક્રય કે વિવરણ।
11. કોઈ ભી ડેરી સ્વામી અનુજસિ અધિકારી યા કિસી ભી અધિકારી કો કિસી ભી સમય પર, ડેરી કા નિરીક્ષણ કરને કે લિયે આપત્તિ નહીં કર સકતા।
12. ઉપરોક્ત ઉપવિધિયોં કે ઉલ્લંઘન પર રદ્દ કી ગયી અનુજસિ કે નિરસ્તીકરણ કો પુર્નજીવિત કરને હેતુ નગર આયુક્ત, નગર નિગમ, દેહરાદૂન કે સમક્ષ અનુરોધ પ્રસ્તુત કિયા જા સકતા હૈ જિસ પર નિર્ણય નગર આયુક્ત, નગર નિગમ, દેહરાદૂન અથવા ઉનકે દ્વારા પ્રાપ્તિકૃત અનુજસિ અધિકારી કા નિર્ણય અન્તિમ હોણી। દો બાર નિરસ્ત કી ગયી કિસી અનુજસિ કો કિસી ભી દશા મેં પુર્નજીવિત નહીં કરાયા જા સકેણી। ઉક્ત પ્રકાર કે અનુરોધ કિયે જાને હેતુ અધિકતમ સમય સીમા પ્રથમ નિરસ્તીકરણ કે એક માહ તક હોણી।
13. યદિ કોઈ પશુ બેચા જાતા હૈ યા મરતા હૈ યા નિસ્તારિત કિયા જાતા હૈ તો ઇસકી જાનકારી પશુપાલક દ્વારા નગર નિગમ કે પશુચિકિત્સા અધિકારી કાર્યાલય મેં 15 દિનોં કે ભીતર જમા કરાના અનિવાર્ય હોણી। યદિ પશુપાલક ઉક્તવત અવધિ મેં જાનકારી નહીં દેતા તો પશુ કે કારણ લગને વાલે અર્થદણ્ડ કે વહન પંજીકૃત પશુસ્વામી કો હી કરના હોણી।

મનુજ ગોયલ (આઈઓએસ૦)
નગર આયુક્ત,
નગર નિગમ, દેહરાદૂન।